निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा

दूरभाषः– 05966–220260 / ☎ 0135–2759799

ई–मेलः dirudyanhorti@gmail.com / missionhortiuk@gmail.com

पत्रांक 2087 / जि0यो0पॉ0पंजी0 / 2022–23 दिनांकःदेहरादूनः अगस्त, 22 ,2022

विज्ञप्ति

जिला योजनान्तर्गत कास्तकारों को छोटे पॉलीहाउस से लाभान्वित करने हेतु वर्ष 31 मार्च 2024 तक के लिये पॉलीहाउस निर्माणकर्ता फर्मों / कम्पनियों से रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) के माध्यम से पंजीकरण (Empanelment) हेतु आवेदन आमन्त्रित किये जाते है।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 07.09.2022 को अपरान्ह 5:00 बजे तक है। आवेदन कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड़, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में जमा किये जा सकते है, जिन्हें दिनांक 08.09.2022 को 12:00 बजे विभागीय समिति द्वारा खोला जायेगा तथा उसी दिन पॉलीहाउस निर्माणकर्ता फर्मों / कम्पनियों के प्रतिनिधियों से समिति द्वारा मोलभाव (Negotiation) किया जायेगा। पंजीकरण की शर्तें व आवश्यक प्रपत्रों का विवरण विभागीय वेबसाईट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

(डा0हरमिंदर सिह बवेजा)
निदेशक

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा

दूरभाषः– 05966–220260 / ☎ 0135–2759799

ई–मेलः dirudyanhorti@gmail.com / missionhortiuk@gmail.com

जिला योजनान्तर्गत छोटे पॉलीहाउस स्थापना हेतु पंजीकरण (Empanelment) की शर्ते एवं प्रतिबन्ध

जिला योजनान्तर्गत से छोटे पॉलीहाउस से कास्तकारों को लाभान्वित किया जाना है, जिसके लक्ष्य राज्य सरकार/जिलाधिकारियों द्वारा स्वीकृत किये जाते है। पॉलीहाउस निर्माणकार्य/स्थापना हेतु फर्मों/कम्पनियों से रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) के माध्यम से पंजीकरण (Empanelment) हेतु आवेदन आमन्त्रित किये जाते है।

(अ) पंजीकरण की शर्ते

1. आवेदन दो भागों में स्वीकार की जायेगी, जिसमें प्रथम प्रपत्र भाग–1 में तकनीकी प्रपत्र तथा दूसरे प्रपत्र भाग–2 में वित्तीय प्रपत्र होगी। दोनो प्रपत्रों को सम्बन्धित अभिलेखों सहित अन्तिम तिथि दिनांक 07.09.2022 के सायं 5:00 बजे तक आवेदनकर्ता द्वारा कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में जमा किया जायेगा, जिन्हें दिनांक 08.09.2022 को 12:00 बजे विभागीय गठित समिति द्वारा खोला जायेगा तथा उसी दिन समिति द्वारा फर्म/कम्पनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर दरों के सम्बन्ध में मोलभाव (Negotiation) किया जायेगा।

2. आवेदन करने हेतु निर्धारित शर्तों एवं प्रपत्रों को विभागीय वेबसाईट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन के साथ प्रक्रिया शुल्क रू0 2360.00 GST सहित बैक का ड्राफ्ट जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया, (अल्मोड़ा) के नाम रानीखेत में देय हो, संलग्न करना होगा। प्रक्रिया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

3. आवेदन के साथ रू0 10.00 लाख की बैंक गारन्टी या सावधी जमा रसीद जो निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड़ के नाम बन्धक हो, संलग्न करनी होगी, जिसकी वैधता तिथि 31.03.2024 तक होनी अनिवार्य है।

4. पॉलीहाउस हाउस का निर्माण मुख्य/जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों के सापेक्ष जिन कास्तकारों को कार्यादेश जारी किये जायेगें, कास्तकारों के प्रक्षेत्रों पर किया जायेगा। अतः उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में एक समान दर पर पॉलीहाउस की स्थापना (मूल दर + GST) F.O.R. (डेस्टीनेशन) सहित देनी होगी।

5. विभागीय कमेटी की संस्तुति के उपरान्त दरें स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन चौबटिया– रानीखेत के पास सुरक्षित रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार की अपरिहार्य परिस्थितियों में पंजीकरण प्रक्रिया को पूर्णतः समाप्त/रद्द करने का अधिकार भी निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन चौबटिया– रानीखेत के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में निदेशक, उद्यान का निर्णय अन्तिम होगा तथा न्यायालय क्षेत्र रानीखेत होगा।

6. फर्म को पैन एवं जी.एस.टी. प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी
7. वर्ष 2022–23 का (1st) क्वार्टर के GST रिटर्न की प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
8. पंजीकरण में भाग लेने वाली फर्म/कम्पनी को गत 03 वर्षों का औसतन टर्न ओवर रू0 2.00 करोड़ होना आवश्यक है, जिसका सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति या GST रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करनी होगी, अन्यथा पंजीकरण पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. फर्म के विरूद्ध किसी प्रदेश में पॉलीहाउस हाउस निर्माण कार्य के विषयक कोई विवाद/विधिक कार्यवाही/ अपराधिक कार्यवाही एवं फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है या नहीं जैसी भी स्थिति हो सूचित करते हुए शपथ पत्र रू0 100.00 के (नोटराईज्ड) नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर संलग्न करना होगा।
10. तकनीकी प्रपत्र भाग–1 के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति पठनीय होनी नितान्त आवश्यक है। साथ ही फर्म के समस्त डाक्यूमैन्ट्स को फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा सील सहित हस्ताक्षरित होने आवश्यक है।
11. पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाली गैर सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम फर्म को पंजीकरण की समस्त शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर पंजीकरण निरस्त कर दी जायेगी।
12. आवेदन खोलने के दिन यदि राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है, तो ऐसी दशा में आवेदन को खोलने की तिथि हेतु अगला कार्य दिवस निर्धारित होना समझा जाय।
13. पंजीकरण (Empanelment) को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, उद्यान को होगा।

(ब)पॉलीहाउस हाउस निर्माण कार्य की शर्ते :–

1. पॉलीहाउस निर्माण कार्य जनपदीय अधिकारियों द्वारा दिये गये स्वीकृति आदेश/कार्यादेश के 15 दिन के भीतर प्रारम्भ करना होगा एवं निर्धारित समय के अन्तर्गत कार्य पूर्ण कर बिल बाउचर जनपदीय अधिकारियों को उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित समय पर यदि निर्माण कार्य पूर्ण नही किया गया तो विभाग/जनपदीय अधिकारी उचित कार्यवाही करने हेतु सक्षम होगें।
2. निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सत्यापन हेतु जनपद स्तरीय गठित समिति की सन्तोषजनक आख्या प्राप्त होने पर देय राजसहायता की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
3. कृषक अंश की धनराशि विभाग के पास जमा होने उपरान्त ही राज सहायता की धनराशि स्वीकृत की जायेगी।
4. फर्म/कम्पनी द्वारा निर्मित पॉलीहाउस हाउस में गुणवत्ताहीन सामग्री के प्रयोग एवं मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य नही पाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत के प्रमाणित होने पर सम्बन्धित फर्म/कम्पनी की पंजीकरण निरस्त कर दी जायेगी और ऐसी फर्म/कम्पनी को काली सूची में रखे जाने का निर्णय भी लिया जा सकता है। आवश्यकतानुसार जमानत की धनराशि भी जब्त की जा सकती है।
5. किसानों को निर्माण उपरान्त सेवा आसानी से प्राप्त कराने के उद्देश्य से फर्म/कम्पनी का कार्यालय अथवा डीलर उत्तराखण्ड राज्य में होना आवश्यक है।

–2–

6. जिला सैक्टर योजनान्तर्गत पॉलीहाउस स्थापना निम्नलिखित विशिष्टियों (Specification's) के अनुसार करनी होगीः–

विवरण	विशिष्टियॉ (Specification's)	
	पॉलीहाउस निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री	विशिष्टियॉ
पॉलीहाउस का आकार (लम्बाई 30 फीट, चौड़ाई 11 फीट, ऊँचाई 09 फीट)	एंगिल आयरन	40–40–3 एम.एम. स्ट्रक्चर 32–32–3 एम.एम. दरवाजा 25–25–3 एम.एम. खिड़की Distance between consecutive column angle- 6 feet
	पॉलीशीट (मल्टीलेयर)	UV stabilized 200 micron transparent plastic films conforming Indian Standards (IS 15827: 2009), multilayered, anti drip, anti fog, anti sulphur, diffused, clear and having minimum 85% level of light transmittance.
	दरवाजा/वेन्टीलेटर	दो दरवाजे 6x3 फीट, दो वेन्टीलेटर 6x2 फीट
	ग्राउटिंग	गहराई 2 फीट, चौड़ाई 1 फीट, लम्बाई 1 फीट

7. यदि पॉलीहाउस निर्माता फर्म/कम्पनी देश के बाहर की हैं तो उनके द्वारा देश में Authorized Dealership ली गई हो, जिससे उक्त फर्म/कम्पनी देश में पॉलीहाउस हाउस का निर्माण कर सकती है। इस स्थिति में सम्बन्धित फर्म/कम्पनी को इस आशय का प्रमाण पत्र जो कि मूल विनिर्माता द्वारा दिया गया हो। आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
8. फर्म/कम्पनी को निर्माण उपरान्त सेवा की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। फर्म/कम्पनी की जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा निर्मित पॉलीहाउस पर उपयोग होने वाली सामग्री क्षतिग्रस्त होने पर उचित मूल्य पर कृषकों को मरम्मत हेतु उपलब्ध करानी होगी। लाभार्थी द्वारा इसके लिये अनुरोध करने के 15 दिनों के अन्दर कार्य पूर्ण करना आवश्यक होगा।
9. पर्वतीय क्षेत्रों की विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये फर्म/कम्पनी को विगत 03 वर्षों में से किसी 01 वर्ष में कम से कम 100 एंगल आयरन पॉलीहाउस की स्थापना पर्वतीय क्षेत्रों में करने का अनुभव होना आवश्यक है। केवल सरकारी एवं अर्धसरकारी संस्थानों का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। साक्ष्य के रूप में कार्यादेश एवं भुगतान प्राप्ति के आदेश की प्रति भी संलग्न करना होगा।
10. फर्म/कम्पनी द्वारा पॉलीहाउस निर्माण के उपरान्त पॉलीहाउस के नजदीक लोहे का साईन बोर्ड लगाना होगा, जिसमें निम्नानुसार विवरण अंकित किया जायेगा।

    कृषक का नाम– ....पुत्र ....
    ग्राम व पो0आ0– .... जिला– ....
    योजना का नाम .... उद्यान विभाग उत्तराखण्ड
    प्रदत्त राजसहायता रू0...........................
    पॉलीहाउस का क्षेत्रफल वर्ग मी0 में ....
    निर्माण वर्ष–...
    उद्यान सचल दल केन्द्र का नाम ....

11. पॉलीहाउस के साथ कास्तकार का फोटो खिंचवाकर बिल/वाऊचर के साथ संलग्न करना होगा।
12. पंजीकरण के पश्चात् यदि पंजीकृत फर्म/कम्पनी द्वारा पॉलीहाउस निर्माण कार्य यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही किये जाने के कारण विवाद की स्थिति में फर्म/कम्पनी को निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड का फैसला अन्तिम रूप से मान्य होगा।
13. फर्म/कम्पनियों द्वारा स्थापित किए गए पॉलीहाउस की गुणवत्ता एवं रख–रखाव के सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
14. फर्म/कम्पनी को निर्माण उपरान्त 1 वर्ष की वारण्टी प्रदान करनी होगी।
15. रू0 100.00 के नोटराईज्ड़ शपथ पत्र पर वित्तीय प्रपत्र में दी गई दरें न्यूनतम होने व दी गई दरों से कम दरों पर किसी राज्य या संस्था या विभाग में पंजीकरण की अवधि में कार्य नहीं किये जाने की शपथ।
16. फर्म/कम्पनी को पॉलीहाउस के रखरखाव एवं सब्जी/पुष्प उत्पादन की तकनीकी जानकारी कृषकों को प्रदान करनी होगी।
17. फर्म/कम्पनी द्वारा पॉलीहाउस निर्माण के उपरान्त विभाग को निर्माण के मूल बिल–वाउचर प्रस्तुत करते हुए विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन उपरान्त दी गयी संस्तुति के आधार पर राजसहायता का भुगतान कास्तकार को DBT/RTGS के माध्यम से किया जायेगा। कास्तकार के लिखित अनुरोध पर ही फर्म/कम्पनी को भुगतान DBT/RTGS के माध्यम से किया जायेगा।
18. फर्म/कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई भी जानकारी यदि पंजीकरण की अवधि के दौरान असत्य पाई गई तो फर्म/कम्पनी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।
19. पॉलीहाउस निर्माण से पूर्व कृषक, फर्म/कम्पनी एवं विभाग के बीच रू0 100/– के नॉन ज्यूडीशियल पेपर पर नोटरी अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित त्रिस्तरीय समझौता किया जायेगा, जिसका **प्रारूप–2** पर उपलब्ध है। समझौते के अनुसार पॉलीहाउस/शेडनेट हाउस निर्माण में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने पर विभाग द्वारा समझौते प्रपत्र में किसी भी समय संशोधन किया जा सकता है।

20. पॉलीहाउस अनुरक्षण की शर्तें:–

(A) निम्न कारकों से होने वाली क्षति का अनुरक्षण करना होगा:–
- i. पॉलीहाउस स्वतः फटने पर पॉलीथीन शीट का अनुरक्षण करना होगा।
- ii. नट, बोल्ट, पाइप, फ्रेम आदि के टूटने/उखड़ने तथा रस्टिंग होने पर अनुरक्षण।

(B) निम्न कारकों से होने वाली क्षति का अनुरक्षण नही करना होगा:–
- i. जानबूझ कर चाकू/अन्य हथियार से पॉलीथीन शीट काटने पर अनुरक्षण नही होगा।
- ii. जंगली जानवरों तथा पालतू जानवरों से हुई क्षति का अनुरक्षण नही करना होगा।
- iii. आग एवं प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति पर अनुरक्षण नही करना होगा।

(C) पॉलीहाउस/शैडनेट हाउस स्थापना की तिथि से 01 वर्ष तक निःशुल्क अनुरक्षण करना होगा।

(D) कास्तकार को पॉलीहाउस का संचालन, रखरखाव एवं उत्पादन के सम्बन्ध में 01 वर्ष तक निशुल्क सलाह/जानकारी प्रदान करनी होगी।

(E) पॉलीहाउस में प्रयोग किये गये प्लास्टिक की सामग्री का आवश्यकतानुसार होने पर Quality Assurance हेतु CIPET से जॉच कराई जा सकती है।

पंजीकरण की वैधता तिथि दिनांक 31 मार्च, 2024 तक होगी।

(डा0हरमिंदर सिह बवेजा)
निदेशक

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा
दूरभाष:– 05966–220260 / ☎ 0135–2759799
ई–मेल: dirudyanhorti@gmail.com / missionhortiuk@gmail.com

तकनीकी प्रपत्र (भाग–1)

क0सं0	विवरण	अभ्युक्ति संलग्न है या नहीं
1–	फर्म का प्रोफाईल नाम, पता, ईमेल सहित	
2–	पंजीकरण हेतु प्रक्रिया शुल्क जमा करने हेतु धनराशि का विवरण– ड्राफ्ट संख्या....................तिथि...................धनराशि रू0 2360.00	
3–	बैंक गारन्टी / सावधी जमा रसीद जो निदेशक, उद्यान के नाम बन्धक हो, का विवरण– 1–बैंक गारन्टी संख्या..........................बैंक का नाम.......................रू0 10.00 लाख , वैधता तिथि ....या सावधी जमा रसीद संख्या ....बैंक का नाम व पूर्ण पता.. ....रू0 10.00 लाख, वैधता तिथि	
4–	फर्म का पैन नम्बर का प्रमाण–पत्र।	
5–	फर्म का जी.एस.टी. प्रमाण–पत्र।	
6–	वर्ष 2022–23 का (1st) क्वार्टर के GST रिटर्न की प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।	
7–	फर्म / कम्पनी को विगत 03 वर्षों का औसतन टर्न ओवर रू0 2.00 करोड़ होना आवश्यक है। जिसका सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति या GST रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।	
8–	विभाग द्वारा निर्धारित पॉलीहाउस की विशिष्टियां (Specification) की हस्ताक्षरित प्रति।	
9.	फर्म के विरूद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति विषयक कोई विवाद / विधिक कार्यवाही / अपराधिक कार्यवाही अथवा फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है, हॉ या नही होने की दशा में रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।	
10.	फर्म / कम्पनी का कार्यालय अथवा डीलर उत्तराखण्ड राज्य में होने का प्रमाण पत्र।	
11.	देश से बाहर की फर्म / कम्पनी होने पर भारत में पॉलीहाउस एवं शेडनेट निर्माण हेतु पंजीकरण डालने के लिए Authorized किये जाने का प्रमाण पत्र।	

	रू0 100.00 के नोटराईज्ड़ शपथ पत्र पर वित्तीय प्रपत्र में दी गई दरें न्यूनतम होने व दी गई दरों से कम दरों पर किसी राज्य या संस्था या विभाग में पंजीकरण की अवधि में कार्य नहीं किये जाने की शपथ।	
12	पॉलीहाउस निर्माण के उपरान्त 01 वर्ष की वारन्टी/गारन्टी प्रदान करने का शपथ पत्र रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर।	
13	फर्म/कम्पनी के Workshop/ Factory का विस्तृत विवरण जहा पर पॉलीहाउस निर्माण का कार्य किया जाता हो।	
14	पर्वतीय क्षेत्रों की विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये फर्म/कम्पनी को विगत 03 वर्षों में से किसी 01 वर्ष में कम से कम 100 एंगल आयरन पॉलीहाउस की स्थापना पर्वतीय क्षेत्रों में करने का अनुभव होना आवश्यक है। केवल सरकारी एवं अर्धसरकारी संस्थानों का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। साक्ष्य के रूप में कार्यादेश एवं भुगतान प्राप्ति के आदेश की प्रति भी संलग्न करना होगा।	

नोट– उपरोक्त सभी कालम पूर्ण रूप से स्वयं अथवा प्राधिकृतकर्ता द्वारा भरे जाने होंगे तथा प्रमाण पत्र दिया जाना होगा कि उपरोक्त सभी कालम में दी गयी सूचनाऐं सत्य एवं प्रमाणित हैं। पंजीकरण के साथ अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जायें। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या अंकित करना आवश्यक है तथा तकनीकी प्रपत्र में भी अभिलेख का पृष्ठ संख्या अंकित करना आवश्यक है।

प्रमाण–पत्र

मेरे द्वारा उपरोक्त पंजीकरण की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अध्ययन कर लिया गया है तथा उक्त सभी शर्तो पर अपनी पूर्णतः सहमति प्रदान करता हूॅ।

प्राधिकर्ता के हस्ताक्षर–
प्राधिकर्ता/आवेदनकर्ता का नाम–
फर्म का नाम/पता/सील
फोन नम्बर–
ईमेल–

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा

दूरभाषः– 05966–220260 / ☎ 0135–2759799

ई–मेलः dirudyanhorti@gmail.com / missionhortiuk@gmail.com

वित्तीय प्रपत्र (भाग–2)

दर रू0 में

क्रम सं0	स्ट्रैक्चर का प्रकार एवं आकार	फर्म / कम्पनी की दर प्रति पॉलीहाउस जी0एस0टी0 (समस्त कर सहित)
5	जिला योजनान्तर्गत पॉलीहाउस का आकार (लम्बाई 30 फीट, चौड़ाई 11 फीट, ऊँचाई 09 फीट) एंगिल आयरन	

नोट– उपरोक्त सभी कालम पूर्ण रूप से स्वयं अथवा प्राधिकृतकर्ता द्वारा भरे जाने होंगे तथा प्रमाण पत्र दिया जाना होगा कि उपरोक्त सभी कालम में दी गयी सूचनाऐं सत्य एवं प्रमाणित हैं। आवेदन के साथ अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जायें।

प्रमाण–पत्र

मेरे द्वारा उपरोक्त पंजीकरण की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अध्ययन कर लिया गया है तथा उक्त सभी शर्तो पर अपनी पूर्णतः सहमति प्रदान करता हूँ।

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता का नाम–

फर्म का नाम / पता / सील

फोन नम्बर–

ईमेल–

कास्तकार द्वारा क्रय किये गये रू0 100/– के नॉन ज्यूडीशियल पेपर पर नोटरी अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित

कृषक एवं फर्म/कम्पनी के बीच समझौता का प्रारूप

Agreement Between Farmer and Eligible Firm / Company (Service Provider) for Construction of Poly Houses

आज दिनांक .... को **प्रथम पक्ष (कृषक)** श्री .... पुत्र ...., ग्राम .... पोस्ट .... तहसील .... जनपद .... एवं **द्वितीय पक्ष (पॉलीहाउस निर्माता फर्म/कम्पनी)** मै0 .... पता .... **तृतीय पक्ष (विभाग के प्रतिनिधि) नाम** .... **पदनाम** ....की उपस्थिति में पॉलीहाउस निर्माण कार्य हेतु निम्न शर्तों के साथ समझौता करते हैः–

1. प्रथम पक्ष (कास्तकार) द्वारा निर्माण हेतु द्वितीय पक्ष (पंजीकृत फर्म/कम्पनी) को पॉलीहाउस निर्माण के लिये समतल भूमि उपलब्ध करानी।
2. प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष पॉलीहाउस निर्माण करने की समय सारणी से पूर्ण रूप से सहमत हैं।
3. द्वितीय पक्ष द्वारा निर्माण हेतु उच्च गुणवत्तायुक्त सामग्री का प्रयोग करते हुए प्रथम पक्ष के साथ सहमति से तैयार की गयी समय सारणी के अनुसार निर्माण किया जायेगा।
4. पॉलीहाउस का निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियां (Specification) के अनुसार करना होगा।
5. निर्माण से पूर्व प्रथम पक्ष निर्माण हेतु प्रयोग की जा रही किसी भी प्रकार की सामग्री के निरीक्षण हेतु स्वतन्त्र होगा।
6. द्वितीय पक्ष द्वारा निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री प्रथम पक्ष की संतुष्टि के आधार पर प्रयोग की जायेगी।
7. प्रथम पक्ष द्वारा कृषक अंश की धनराशि सम्बन्धित मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार के पास जमा किया जायेगा।
8. द्वितीय पक्ष को पॉलीहाउस निर्माण पर प्रयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता, सामग्री का बदलाव (Replacement) एवं निर्माण उपरान्त सेवा की जानकारी देनी होगी तथा उनके द्वारा निर्माण किये गये पॉलीहाउस/शेडनेट हाउस की 01 वर्ष की गारन्टी/वारन्टी भी देनी होगी।
9. द्वितीय पक्ष को निम्न कारकों से होने वाली क्षति का अनुरक्षण करना होगाः–
   i. पॉलीहाउस स्वतः फटने पर पोलीथीन शीट का अनुरक्षण करना होगा।
   ii. नट, बोल्ट, पाइप, फ्रेम आदि के टूटने/उखड़ने तथा रस्टिंग होने पर अनुरक्षण।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा निम्न कारकों से होने वाली क्षति का अनुरक्षण नही करना होगाः–
    i. जानबूझ कर चाकू/अन्य हथियार से पोलीथीन शीट काटने पर अनुरक्षण नही होगा।
    ii. जंगली जानवर तथा पालतू जानवरों से हुई क्षति का अनुरक्षण नही करना होगा।

iii. आग एवं प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति पर अनुरक्षण नहीं करना होगा।

11. फर्म द्वारा कास्तकार को पॉलीहाउस का संचालन, रखरखाव एवं उत्पादन के सम्बन्ध में 01 वर्ष तक निशुल्क सलाह/जानकारी प्रदान करनी होगी।

12. प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष उक्त शर्तो के अतिरिक्त किसी अन्य शर्त के लिये सहमत हों तो आपसी सहमति के आधार पर अन्य शर्तो को भी सम्मिलित कर सकते हैं।

स्थानः–

दिनांकः–

गवाह	हस्ताक्षर
1.	प्रथम पक्ष (कास्तकार)
2.	द्वितीय पक्ष (पंजीकृत फर्म)
3.	तृतीय पक्ष (विभाग के प्रतिनिधि का नाम व पदनाम)